



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव (भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग—4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, (सिविल), डंगनिया, रायपुर द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वन मंडल अंतर्गत ग्राम चमेदा एवं हरदीभाठा में 132/33 के, व्ही विद्युत उप केन्द्र स्थापित करने हेतु पटवारी हल्का नं. 15, खसरा क्रमांक 06 एवं 07 के रकबा 1.57 हैं। राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम – 1980 अंतर्गत प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: १२/०९/२०१६

स्थान: रायपुर

[Signature]
(बी. एल सरन)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, रायपुर